आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
15.4.25	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।** R.M.A. Case No.- 07/2014-15 प्रभु महतो एवं अन्य **बनाम** मनु मियाँ एवं अन्य **आदेश** यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-01/2012-13 में दिनांक–09.05.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-01/2012-13 में दिनांक–09.05.2014 को पारित आदेश के द्वारा उभयपक्षों के बीच एक समझौते एवं अंचल अधिकारी की अनुशांसा के आलोक में आवेदक मोनु मियाँ को प्रधान द्वारा दिनांक–03.01.1991 को निर्गत पट्टा सं0–18, दाग संख्या–412/बी0 एवं 412/सी0, कुल रकवा–01.07 एकड़ भूमि हेतु पट्टा सम्पूष्टि की स्वीकृति दी गई है, तत्पश्चात् आपत्तिकर्त्ता बकरीद मियाँ SPT Act. 1949 की धारा–27 के तहत मौजा के प्रधान के समक्ष उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। अपीलकर्त्तागण के विज्ञ अधिवक्त को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा–मंझलाडीह के गरीब जमाबन्दी रैयत एवं निवासी है तथा मौजा–मिरगा के जमाबन्दी रैयत है। नारायणपुर अंचल के अन्तर्गत मौजा–मंझलाडीह एवं मौजा–मिरगा एक दूसरे से सटा हुआ है। अपीलकर्त्तागण के मौजा–मिरगा के खाता संख्या–13 के दाग संख्या–206,207,208 एवं 411 से सटा हुआ पुरातन पतित दाग संख्या–412 है। अपीलकर्त्तागण के पूर्वज द्वारा मौजा–मिरगा के पुरातन पतित दाग संख्या–412 में 02 बीघा 05 कठ्ठा जमीन का कोड़–खोद कर मेड़बन्दी किया गया है एवं दखल कब्जा के पश्चात् अबतक अपने परिवारों के उपयोग के लिए रबी फसल इत्यादि उपजाया जाता है। पुरातन पतित दाग संख्या–412 में 02 बीघा 05 कठ्ठा जमीन के लिए मौजा–मिरगा के प्रधान दलु मियाँ के द्वारा प्रधानी पट्टा अपीलकर्त्तागण के पूर्वज टेकू महतो एवं अन्य को दिया गया। उक्त भूमि पर बिना कोई आपत्ति के अपीलकर्त्तागण दखल कब्जा के साथ–साथ जोत–आवाद करते आ रहें है। लेकिन इसी ग्राम के मोनु मियाँ जो कि ग्राम प्रधान एवं अंचल कार्यालय के कर्मी से सांट–गांठ कर पुरातन पतित जमीन का बन्दोबस्ती करने, जमीन हड़पकर कब्जा करने में प्रसिद्ध है। यह विचित्र है कि मोनु मियाँ धनी एवं गाँव प्रभावशाली वक्ति होने के बावूजद भी उन्हीं को पुरातन पतित जमीन का प्रधानी पट्टा एवं जमीन का बन्दोबस्ती सम्पुष्ट किया गया। इस प्रकार उक्त जमीन पर बकरीद मियाँ एवं अन्य के द्वारा आवासीय मकान, शेष पर खलिहान एवं सब्जी का बागवानी कर अपने परिवार के उपयोग में लगाया जाता था। उक्त जमीन की संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–28 के तहत बन्दोबस्ती के लिए ग्राम प्रधान से प्रधानी पट्टा के लिए अनुरोध किया गया लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा उक्त जमीन के लिए पट्टा नहीं दिया गया। प्रधान पट्टा निर्गत नहीं किये जाने के कारण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–28 के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में Settlement Case No.-274/1992-93 के रूप में बकरीद मियाँ के द्वारा आवेदन किया गया। Settlement Case No.-274/1992-93 में दिनांक–26.02.1993/26.03.1993 को पारित आदेश के द्वारा बन्दोबस्ती कराने से इन्कार कर दिया गया। Settlement Case No.-274/1992-93 में दिनांक–26.02.1993/26.03.1993 को पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त महोदय के न्यायालय, दुमका में अपील आवेदन किया गया जो वाद R.M.A. Case No.-11/1993-94 के रूप में है। जामताड़ा के नवसृजित जिला होने के कारण उक्त वाद का स्थानांतरण उपायुक्त महोदय के न्यायालय, जामताड़ा में किया गया जो R.M.A. Case No.-169/2001-02 के रूप में दर्ज है एवं दिनांक–10.10.2007 को पारित आदेश में कहा गया कि मौजा–मिरगा के प्लॉट नं0–412 के अंश रकवा–48 डी0 जमीन का बन्दोबस्ती अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में Settlement Case No.-274 of 1988-89 में दिया जा चुका था, जो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 बन्दोबस्ती की सिद्धांत के विरूद्ध है। पुनः तत्कालीन उपायुक्त महोदय	

द्वारा निदेश दिया गया है कि जाँच कर सुनिश्चित हो कि वादी या प्रतिवादी के कितना जमीन बन्दोबस्त प्राप्त है इसके अतिरिक्त जमीन का बन्दोबस्ती किया जाना बन्दोबस्ती के सिद्धांत के बाहर है उनके द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि भूमि का बन्दोबस्ती गरीब एवं भूमिहीनों को अनुशंसा करना चाहिए। लेकिन Settlement Case No.-274 of 1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश में मनु मियाँ को पट्टा सम्पूष्टि हेतु आवेदन नहीं देने के संबंध में बात कहा गया एवं बकरीद मियाँ को भूमि बन्दोबस्ती नहीं पाने योग्य रैयत कहा गया। अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय के Settlement Case No.-274 of 1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त महोदय के न्यायालय, जामताड़ा में R.M.A. Case No.-18/2011-12 अपील दिनांक-09.02.2012 को दायर किया गया। लेकिन इस वाद के लंबित रहते ही अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Mice Case No.-01/2012-13 में दिनांक-09.05.2014 को पारित आदेश द्वारा मोनु मियाँ को प्रधान द्वारा दिनांक-03.01.1991 को निर्गत पट्टा संख्या-18 दाग संख्या-412/बी एवं 412/सी0 कुल रकवा-01.07 एकड़ भूमि हेतु पट्टा सम्पुष्ट किय गया। उपायुक्त महोदय का न्यायालय के R.M.A. Case No.-169/ 2001-02 जो की Settlement Case No.-274/1992-93 में दिनांक-26.02.1993/26.03.1993 को पारित आदेश विरूद्ध दर्ज था में दिनांक-10.10.2007 को पारित आदेश में अंकित है कि "...But it is also clear that respondent second party Manu Mian had already been settled land. Therefore again settling another land with him will be against the principle of settlement. In my opinion, a proper enquiry is needed to ascertain actual position of land and also to find out how many land the appellant or O.P. is holding The land should be settled only with landless or poor people and not with the rich men. The case is remanded to the S.D.O. to find out the real possession of the land. The lower court should recommend for settlement land only with landless and poor people. The case is remanded to lower court for needful...." इस प्रकार तत्कालीन उपायुक्त महोदय के द्वारा मोनु मियाँ को बन्दोबस्ती दिये जाने की मना के बावजूद भी अनुमण्डल पदाधिकरी, जामताड़ा द्वारा बन्दोबस्ती दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। मोनु मियाँ का बन्दोबस्ती करते समय 16 आना रैयतों को विधिवत सूचना तामिला भी नहीं कराया गया। अपीलकत्तागण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-01/2012-13 में दिनांक-09.05.2014 को पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि उत्तरवादी मनु मियाँ के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा-मिरगा के जमाबन्दी रैयत है। गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा-मिरगा के दाग संख्या-412 किस्म पुरातन पतित है। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-01/2012-13 में अंचल अधिकारी, नारायणपुर के पत्रांक-32/रा0(मु0) दिनांक-21.04.2012 में अंकित है कि "मौजा-मिरगा के ही अन्य जमाबन्दी रैयत बकरीद मियाँ ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया। उपायुक्त जामताड़ा के न्यायालय के अपील वाद संख्या-169/2001-02, दिनांक-10.10.2007 को पारित आदेश के आलोक में मोनु मियाँ, पिता-छोटन मियाँ जो मिरगा के भूमिहीन जमाबन्दी रैयत है। इनकी अपनी जमाबन्दी जमीन मात्र 0.3 एकड़ है तथा परिवार में उपस्थित रैयतों की संख्या 40 है इन्हे पूर्व में सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती नहीं दिया गया है। परिवार में उपस्थित सदस्यों की संख्या के अनुपात में जमीन काफी कम है।" इस प्रकार प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मोनु मियाँ को प्रधान द्वारा दिनांक-03.01.1991 को निर्गत पट्टा सं0-18, दाग संख्या-412/बी0 एवं 412/सी0 कुल रकवा-01.07 एकड़ भूमि हेतु पट्टा सम्पूष्टि की स्वीकृति दिया जाना तर्कसंगत है।

उभयपक्ष पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेखों में संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-01/2012-13 में दिनांक-09.05.2014 को पारित आदेश में अंकित है कि "अंचल अधिकारी, नारायणपुर ने अपने पत्रांक-32/रा0, दिनांक-21.04.2012 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-मिरगा के आनावादी खाता के दाग संख्या-412, रकवा-05.40 एकड़ पुरातन पतित बोलकर दर्ज है। उक्त दाग में से 1.42 एकड़ जमीन आवेदक मोनु मियाँ को गत प्रधान ने बन्दोबस्त दिया है। आवेदक मोनु मियाँ भूमिहीन है तथा पूर्व में इन्हें सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती नहीं की गई है। अंचल अधिकारी ने प्रधान द्वारा निर्गत पट्टा सम्पूष्टि

हेतु अनुशांसा की है।" इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-01/2012-13 में दिनांक-09.05.2014 को पारित आदेश न्यायसंगत है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-01/2012-13 में दिनांक-09.05.2014 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
Seen 24/4/25
23/4/25

Digitally signed by localhost
Date: 2025.04.26 19:10:12 +05:30
Location: 192.168.30.106